निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 128/2017
दायरा दिनांक 30.11.2017
निर्णय दिनांक : 27.9.21

उनवान

रूकमणी देवी पत्नी किशोरीलाल जाति मीणा निवासी खेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां जरिए मुख्तार कल्याण प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कुंजबिहार कॉलोनी वार्ड नं. 27 अटरू रोड, बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

1. मांगी बाई बैवा छीतरलाल जाति सहरिया, निवासी रारोती तहसील व जिला बारां।
2. सरकार जरिए तहसीलदार साहब तहसील, बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक : 27.9.21

अभिभाषक उपस्थित :
1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एकवोकेट – वादीया
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट. विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम रारोती के खसरा नं. 658 रकबा 1.08 है0 खसरा नम्बर 499 रकबा 0.22 है0 वादनी रूकमणी देवी के खाते में दर्ज है। प्रतिवादनी क्रम नं. 1 द्वारा दिनांक 01.04.2016 को उपरोक्त आराजियात में से खसरा नं. 658 रकबा 1.08 है0 ग्राम रारोती स्थित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा उपरोक्त आराजियात को स्वयं की बताने लग गई है। जबकि उक्त आराजियात प्रतिवादनी क्रम सं. 1 का कोई लेना देना नही है तथा प्रतिवादनी क्रम नं. 1 जबरन वादी के खाते की आराजियात पर जबरन काश्त कर अनैतिक लाभ प्राप्त कर रही है। प्रतिवादनी क्रम नं. 1 द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पैमाईश के पश्चात् यह कहा था कि भूमि खाली होने पर वह अपना कब्जा हटा लेगी लेकिन प्रतिवादनी क्रम नं. 1 द्वारा 20.11.2017 को कब्जा हटाने से स्पष्ट रूप से मनाकर दिया वाद कारण दिनांक 20.11.2017 से उत्पन्न हुआ है। वादीया रूकमणी देवी महिला होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

आराजियात की देखभाल करने में असमर्थ रहती है। इसी कारण उसके द्वारा मुख्तार नियुक्त कर जरिए मुख्तार उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी है। दावा वादी खलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद नम्बर 02 में वर्णित आराजियात ग्राम रारोती स्थित खसरा नम्बर 658 रकबा 1.08 है. से प्रतिवादी नं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादीया को संभलाया जावें। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीयां का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादनी के सम्मन बाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना कि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। उसके विरूद्व एक पक्षीए कार्यवाही की जाती है। वकील वादीयां द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम रारोती सम्वत् 2073–76 खाता सं. 269, फोटो प्रति, पटवारी रिपोर्ट फोटो प्रति, मुख्तार नामा आम, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी पेश की गई। साक्ष्य वादी में श्री कल्याण प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा (मुख्त्यार रूकमणी देवी) निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां अटरू रोड बारां का शपथ–पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती के खसरा नं. 658 रकबा 1.08 है. खसरा नं. 499 रकबा 0.22 है. वादनी रूकमणी देवी के खाते में दर्ज है। प्रतिवादनी क्रम नं. द्वारा दिनांक 01.04.2016 को उपरोक्त आराजियात में से खसरा नं. 658 रकबा 1.08 है. ग्राम रारोती स्थित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा उपरोक्त आराजियात को स्वयं की बताने लग गयी है। जबकि उक्त आराजियात प्रतिवादनी क्रम नं. 1 का कोई लेना देना नही है तथा प्रतिवादनी क्रम नं. 1 जबरन वादी के खाते की आराजियात पर जबरन काश्त कर अनैतिक लाभ प्राप्त कर रही है। प्रतिवादनी क्रमनं. 1 द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पैमाईश के पश्चात् यह कहा था कि भूमि खाली होने पर वह अपना कब्जा हटा लेगी लेकिन प्रतिवादनी क्रम नं. 1 द्वारा 20.11.2017 को कब्जा हटाने से स्पष्ट रूप से मनाकर दिया। वादी खातेदार रूकमणी देवी महिला होने से आराजियात की देखभाल करने में असमर्थ रहती है। इसी कारण उसके द्वारा मुख्तार नियुक्त कर दिया है। वादीयां का वाद स्वीकार कर प्रतिवादियां को वादीयां की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादियां को दिलाया जावें।

बहस अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली एंव रिकॉर्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम रारोती सम्वत् 2073–76 खाता संख्या नया 269 खाता संख्या पुराना 252 खसरा नम्बर 658 रकबा 1.08 है. खसरा नम्बर 499 रकबा 0.22 है. वादनी रूकमणी देवी के खाते में दर्ज है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वादिया के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादियां उक्त भूमि के खातेदार कृषक नही है। वादियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

की भूमि पर प्रतिवादियां का कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादियां द्वारा भूमि पर कब्जा बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादियां द्वारा भूमि का क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हों। प्रतिवादियां वादियां की भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त करने का कोई अधिकार नही है। वादिया का वाद स्वीकार कर प्रतिवादियां को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा वादियां को दिलाया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीयां का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती के खसरा नं. 658 रकबा 1.08 है. भूमि से प्रतिवादियां को बेदखल कर कब्जा वादियां को दिलाए जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्ची जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

संख्या 128/17	धारा अंतर्गत 183 RTA	निर्णय दिनांक 27.9.21

समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्रसिंह हाडा | अभिभाषक प्रतिवादी श्री हरिसिंह चौधरी

वाद शीर्षक

रुकमणी देवी पत्नी किशोरीलाल जाति मीणा नि० रेलरी तह० छीपाबड़ौद जिला बारां जरिये मुख्त्यार कल्याण कुमार पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी कुंजबिहार कॉलोनी वार्ड नं. 27 ... रोड बारां त० बारां

बनाम

1. मांगीबाई बेवा कैलाश जाति सहरिया निवासी रारोती तह० बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती के ख० नं. 658 रकबा 1.08 है० भूमि से प्रतिवादिया को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाए जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.9.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उप खण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner